

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या 66/2020 (एम.ए.सी.पी.सं. 211/2015)

श्रीमती प्रतिमा बनाम सन्तोष कुमार आदि

11.06.2020

आज यह प्रकीर्ण वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीगण/याचीगण मय विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये।

3B प्रार्थनापत्र जिसे शपथपत्र प्रपत्र संख्या 4C2 से समर्थित किया गया है, में प्रार्थिया श्रीमती प्रतिमा ने प्रार्थना की है, कि उपरोक्त प्रकरण दिनांक 24.10.2018 को निर्णीत हो चुका है, जिसमें मुबल्लिग 1,69,026/-रूपये की एफ.डी.आर. सं. 92354050003218/1 तीन वर्ष के लिये निर्गत की गयी थी जिसकी परिपक्वता दिनांक-17.12.2020 है। प्रार्थिया के दो बेटे उम्र 12 व 10 साल के हैं, उनके अध्ययन के लिये प्रार्थिया को रूपयों की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थिया को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया है, वह अपने मायके में रह रही है। उसके पिता को लकवा लगा हुआ है व मां मजदूरी करती है अतः प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उक्त एफ.डी.आर.की धनराशि प्रार्थिया को अवमुक्त किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रार्थिया ने उक्त एफ.डी.आर., स्वयं के आधार कार्ड एवं पास बुक की छाया प्रतियां दाखिल की हैं तथा उसने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का समर्थन अपने शपथपत्र 4C2 में किया है। न्याय हित में उक्त एफ.डी.आर.की धनराशि मुबल्लिग 1,69,026/- रूपये में से 40 प्रतिशत की धनराशि मुब. 67,610/-रूपये प्रार्थिया/याचिया श्रीमती प्रतिमा देवी के सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी के खाता सं.- 92352010003560 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित की जायें तथा उक्त एफ.डी.आर. की शेष धनराशि का पुनः एफ.डी.आर. प्रार्थिया के नाम अग्रिम तीन वर्ष की अवधि के लिये बनाई जाकर प्रार्थिया को प्रदान की जाय एवम् उक्तानुसार धनराशि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आख्या न्यायाधिकरण में दाखिल की जावे। 3C2 प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पी.ओ.एम.ए.सी.टी., झांसी।